वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश

श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा, तत्तकालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल राघोपुर के द्वारा गंगा नदी की जमीन को अवैध एवं जाली जमाबंदी कायम किये जाने के कारण अंचल अधिकारी, राघोपुर के द्वारा गठित प्रपत्र 'क' अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर के पत्रांक 1025 दिनांक 15.012.16 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु प्राप्त हुआ। इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 140 दिनांक 10.02.17 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अपर समाहर्ता वैशाली को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, राघोपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा, राजस्व कर्मचारी अंचल राघोपुर वर्तमान पदस्थापन अंचल पातेपुर को इनके विरूद्ध गठित आरोप की गम्भीरता को देखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 383 दिनांक 25.04.17 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंवित करते हुए मुख्यालय पातेपुर अंचल निर्धारित किया गया।

संचालन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता वैशाली के ज्ञापांक 123/गो0 दिनांक 30.05.17 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन पश्चात् प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

आरोप के बिन्दु/आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण :-

जिला पदाधिकारी, वैशाली के ज्ञापांक 140/जि0स्था0 दिनांक 10.02.17 के आलोक में श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, राघोपुर के द्वारा गंगा नदी की जमीन की अवैध एवं जाली जमाबंदी कायम किये जाने के विरूद्ध अंचल अधिकारी, राघोपुर के पत्रांक 526 दिनांक 30.11.16 द्वारा गठित प्रपत्र "क" के आलोक में विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया/ कार्यवाही संचालन के क्रम में श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा राजस्व कर्मचारी का लिखित पक्ष निम्न प्रकार है :-

क्र0	लगाये गए आरोप	आरोपी कर्मी का लिखित पक्ष
01.	मौजा सुकुमारपुर, थाना सं0 341, अंचल राघोपुर, जिला वैशाली अंतर्गत जमाबंदी संख्या– 11,226,323,331,312,413,319,329,318, 414,325,301,300k,307,320,330,315,313, 415,71,263,197,233,324k,321,328,332, 266,326,309,306k,322,268,299,331k, 255,145,66,40,04,12,334, 295,266 जाली एवं अवैध ढ़ंग से खोल देना।	इस आरोप के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं वर्ष 2008 से 2015 तक अंचल कार्यालय, राघोपुर में पदस्थापित रहा हूँ तथा हल्का सं0 01 में पदस्थापित रहा हूँ, परन्तु लगाये गये आरोपों में जिन जमाबंदी की चर्चा मेरे विषय में किया गया है कि मेरे द्वारा जाली जमाबन्दी खोल दिया गया है, वह पुरी तरह निराधार, तथ्यहीन एवं भ्रामक है, मेरे द्वारा आरोप सं0 01 में वर्णित जमाबंदी नहीं खोला गया है बल्कि जमाबंदी पूर्व से ही कायम था और पूर्व से राजस्व लगान रसीद भी निर्गत किया जा रहा था। पूर्व से कायम जमाबंदी के आधार पर ही राजस्व वसूली के दृष्टिकोण से लगान रसीद निर्गत किया गया। जमाबंदी भी रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार लगाया गया आरोप गलत है एवं प्रमाणित सत्य नहीं होता है एवं मैं दोषी नहीं हूँ। अतः क्रमांक 01 में लगाया गया आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

E Dri E.d.c fille E.d.c fille Ganesh ku 5

02.	आपके द्वारा भू–माफियाओं को लाभ पहुचाने के लिए जमाबंदी विगत वर्षो में खोला हुआ दर्शया गया है जिससे भू–माफियाओं या उनके वंशजों को भूमि पर स्वत्व कायम करने में मदद मिल सकें।	इस आरोप के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि लगाया गया आरोप वेवुनियाद है और ऐसा प्रतीत होता है किसी सरयंत्र के तहत मेरे विरूद्ध साजिस रची गई है, मेरे द्वारा कोई भी गलत कार्य नही किया गया है, तथा मैं दोषी नहीं हूँ अतः अनुरोध है मैं दोषी नहीं हूँ। अतः अनुरोध है कि क्रमांक 02 में लगाये गये आरोप से मुझे मुक्त किया जाय।
03	आपके द्वारा गंगा नदी के भूमि का Fake (जाली) एवं illegal (अवैध) जमाबंदी खोलकर गंगा नदी के प्राकृतिक धारा में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया गया है।	कंडिका 03 में लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार एवं वेवुनियाद है तथा मैं दोषी नहीं हूँ, अतः इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।
04	आपके इस कुकृत्य के कारण करोड़ो–करोड़ो रूपयों की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान होता और बड़े पैमाने पर विधि व्यवस्था विगड़ सकती थी।	इस आरोप के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे द्वारा कोई गलत एवं अवैध कार्य किया ही नहीं गया है तो फ़िर लगाया गया आरोप सत्य से परे है एवं अप्रसांगिक है, तथा मैं दोषी नहीं हूँ। अतः इस आरोप से मुक्त करने की कृपा प्रदान किया जाय।
05	आपके द्वाराFake (जाली) एवं illegal (अवैध) जमाबंदी खोले जाने के कारण विभाग के पदाधिकारियों को जमाबंदी रद्द करनें में काफी परेशानी उठानी पड़ी जिससे सरकारी कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ा है।	इस संबंध में पूनः निवेदन पूर्वक कहना है कि जमाबंदी पूर्व से कायम था, इस में मेरी कोई भुमिका नहीं थी ऐसी स्थिति में लगाया गया आरोप सही नहीं है तथा इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। अतः इस आरोप से मुक्त करने की कृपा प्रदान की जाय।
06	सरकारी कर्चचारी होने के बावजूद भी आपके द्वारा अपने कर्तव्य का दुरूपयोग करते हुए सरकार, समाज के साथ धोखा किया गया एवं गंगा जैसे पवित्र नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बदलने एवं लोगों की धार्मिक भावनाओं पर भी कुछाराघात किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप सरकारी संस्था में बने रहने याग्य नही है। क्यों न आपकी सेवा समाप्त करते हुए आपके विरूद्ध भूमाफियाओं के साथ षडयंत्र रचने, निजी लाभ के लिए गंगा नदी की जमीन को	इस आरोप के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है मैं अपनी सरकारी कार्य पुरी निष्ठा के साथ करता आया हूँ तथा कोई भी गलत कार्य नहीं किया हूँ, मैं सदैव सरकारी नीतीयों एवं अपने उच्च पदाधिकारियों के आदेश पर ही अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन किया हूँ जिसका उदाहरण यह भी है वर्ष 1988 में अंचल गोरौल में पदस्थापित था जहाँ राजस्व वसूली मेरे द्वारा 70 प्रतिशत किया गया था जिसके फलस्वरूप तत्कालीन समाहर्त्ता तथा वर्तमान मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना आदरणीय श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया था जिसकी प्रति मेरे सेवा पुस्त में दर्ज है, इस प्रकार यह आरोप भी तथ्यहीन एवं भ्रामक है और मैं दोषी नही हूँ, अतः अनुरोध है कि कृपया इस आरोप के मुक्त किया जाय। मुझे निलंबित भी कर दिया गया है।

	भूमाफियाओं के नाम जाली एवं अवैध जमाबंदी खोलने, माफियाओं एवं उनके वारिसानों को लाभ पहुँचाने के लिए पूर्व में जमाबंदी खुला दिखाने, गंगा नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बदलने, सामाजिक वैमनस्यता पैदा करने, विधि व्यवस्था भंग करने की समस्या उत्पन्न करने एवं सरकारी दस्तावेज में छेड़–छाड़ करने हेतु प्राथमिकी दर्ज की जाये।	

उपस्थापन पदाधिकारी –सह– अंचल अधिकारी, राघोपुर का मंतव्य निम्नवत् है :–

श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा के विरूद्ध प्रपत्र "क" में लगाये गये आरोप क्रमांक 01 से 06 तक का सही है। अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण की कार्रवाई अपर समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा की जा चुकी है।

अतः लगाये गये आरोप प्रमाणित है।

संचालन पदाधिकारी –सह– अपर समाहर्त्ता, वैशाली का मंतव्य :–

विभागीय कार्यवाही के क्रम में गठित प्रपत्र "क" में क्रमांक 01 से 06 तक सभी बिन्दुओं का अवलोकन किया गया साथ ही संलग्न साक्ष्यों का भी अध्ययन किया गया। राजस्व कर्मचारी श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा द्वारा प्रस्तुत लिखित पक्ष का अवलोकन किया गया एवं उपस्थापन पदाधिकारी –सह–अंचल अधिकारी, राघोपुर के मंतव्य का भी अवलोकन किया गया।

सभी तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार खाते की भूमि का Fake (जाली) एवं अवैध जमाबन्दी खोलकर गंगा नदी के प्राकृतिक धारा में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया गया है।

अवैध सभी जमाबन्दी के रद्दीकरण की कार्रवाई अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा की गई है। राजस्व कर्मचारी श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा द्वारा बताया गया है कि जमाबन्दी पूर्व से निर्मित था मेरे द्वारा लगान रसीद निर्गत किया गया है। श्री सिन्हा का यह तथ्य स्पष्ट करता है कि उनके द्वारा लगान रसीद निर्गत करने के पूर्व से ही बिहार सरकार की भूमि जमाबन्दी खुले होने की जानकारी उनको थी, तो उन्होंने इसकी लिखित सूचना अंचल अधिकारी को क्यों नहीं दी। संलग्न कागजातों से यह भी स्पष्ट है कि बिहार सरकार के खाता सं0 302 की भूमि का दाखिल–खारीज वाद सं0 806/15–16, 807/15–16, 812/15–16, 811/15–16, 809/15–16 द्वारा नामांतरण अंचल अधिकारी, राघोपुर द्वारा किया गया है जिसमें प्रतिवेदित है कि भूमि बिहार सरकार की है। अंचल अधिकारी, राघोपुर को राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन की गहन जाँच करनी चाहिए थी इसके पश्चात् दाखिल–खारीज की कार्रवाई करनी चाहिए जो अंचल अधिकारी, राघोपुर के भी चुक को दर्शाता है।

संचलान पदाधिकारी द्वारा श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा राजस्व कर्मचारी तत्तकालीन अंचल राघोपुर वर्तमान अंचल पातेपुर के विरूद्ध गठित आरोप सत्य पाया गया है। इनके विरूद्ध गठित आरोप गम्भीरता को देखते हुए वृहत दंड अधोरोपित करने हेतु यथेष्ट है।

आरोपी कर्मी को बिहार सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियामावली नियम 18(III) के तहत एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक 613/स्था0 दिनांक 14.06.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु दिनांक 17.06.17 को सुनवाई उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया है। निर्धारित तिथि को आरोपी कर्मी द्वितीय कारण पृच्छा मे उपस्थित

हुए एवं सुनवाई के कम में उक्त जमीन की जमाबंदी पूर्व से कायम होने की बात कही तथा अपने को निर्दोष बताते हुए आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किये। सुनवाई कम निम्न पृच्छा की गई:–

प्रश्न 1. रसीद काटने के पूर्व जमीन सरकारी है या नहीं आपने देखा है?

उत्तरः– देखा है।

प्रश्न 2. जब देखा की सरकारी जमीन है तो रसीद क्यों काटा?

उत्तरः– (i) जमाबंदी पूर्व से कायम थी, इसलिए काटा।

(ii) अंचल अधिकारी श्री निरंजन कुमार ने कहा तो रसीद काटी।

प्रश्न 3. अंचल अधिकारी, ने रसीद काटने को काहा तो इसकी सूचना कहाँ–कहाँ दी गई थी?

उत्तरः– कही नहीं दिए।

प्रश्न 4. जब रसीद काट रहे थे तब जानते थे कि सरकारी भूमि है?

उत्तरः– हाँ।

द्वितीय कारण पृच्छाएवं उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण व संचालन पदाधिकारी के संचालन प्रतिवेदन एवं मंतव्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री सिन्हा द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया है। आरोप के संदर्भ मे भावनात्मक उत्तर दिया गया है। तथ्यात्मक उत्तर नहीं दिया गया है।

साथ ही रसीद काटते समय श्री सिन्हा को यह जानकारी थी कि वे सरकारी भूमि की रसीद रैयतो के नाम से काट रहे है, स्पष्ट है कि निजी व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया है। जहाँ तक तत्कालीन अंचल अधिकारी को जानकारी में देते हुए यह कृत्य किया गया है, इसकी जाँच होनी आवश्यक है। अपर समाहर्ता अपने स्तर से इसकी अविलम्ब जाँच करे व प्रतिवेदन दे ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकें।

स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारी जो कि सरकारी भूमि का संरक्षक है, निजी व्यक्तियों को लाभ पँहुचाने के लिए अपने सरकारी दायित्वों से इतर भ्रष्ट आरचण का प्रदर्शन किया है। सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि यह जानकारी होते हुए, जानबुझकर नियमों का उल्लंघन करे।

उपरोक्त विभागीय कार्यवाही मे आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप संचालन पदाधिकारी का संचालन प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परिशीलन किया। सम्यक विचारोपरांत आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया। श्री सिन्हा का कार्य व्यवहार कुत्सित है, यह राजस्व कर्मचारी से संबंधित ऐसा उदाहरण है जो सख्त कार्रवाई के लिए अपेक्षित है, ताकि भविष्य मे अन्य राजस्व कर्मचारी ऐसा कुत्सित कार्य न कर पाये क्योंकि यह सरकारी सेवक के कार्यक्लापों के सर्वथा विपरित है।

अंतः विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोप से सहमत होते हुए तथा **मैं श्रीमती रचना पाटित, भा0प्र0से0, समाहर्ता सह जिला दण्डाधिकारी, वैशाली बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14** के तहत निहित शास्ति के आलोक में श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा, राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन अंचल राघोपुर वर्तमान अंचल पातेपुर का आदेश निर्गत की तिथि से **बर्खास्त (Dismiss)** करती हूँ।

श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा, राजस्व कर्मचारी से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है।

1.	नाम–	श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा,
2.	पिता–	स्व0 जलधारी प्रसाद
3.	पदनाम–	राजस्व कर्मचारी
4.	जन्म तिथि–	02.04.1960
5.	नियुक्ति की तिथि–	27.04.1987
6.	वेतनमान–	9600– 34800
7.	स्थायी पता–	ग्रा+पो0+थाना– जहानाबाद, जिला– जहानाबाद।

लेखापित एवं शूद्धित

जिला दण्डाधिकारी,
सह
समाहर्ता, वैशाली।

जिला दण्डाधिकारी,
सह
समाहर्ता, वैशाली।

ज्ञापांक– 756 /जि0स्था0 दिनांक– 17/7/17

प्रतिलिपि– श्री सुभाष चन्द्र सिन्हा, राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन अंचल कार्यालय राघोपुर, सम्प्रति मुख्यालय अंचल कार्यालय, पातेपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, वैशाली हाजीपुर को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उपविकास आयुक्त, वैशाली/अपर समाहर्ता, वैशाली/अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर/महुआ एवं महनार/उपसमाहर्ता भूमि सुधार,हाजीपुर/महुआ एवं महनार/कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर /लालगंज एवं महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, वैशाली जिला को सूचनार्थ प्रेषित। अंचल अधिकारी पातेपुर श्री सिन्हा को सेवापुस्त में लाल स्याही से इन्दराज करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर वैशाली को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
सह
समाहर्ता, वैशाली।